पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं0–एस0ओ0 1533 दिनॉक– 14.09.2006 के प्राविधानों के अंतर्गत मै0 सन लाइट फ्यूल्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम– भीखपुर, तहसील–हरगाँव जनपद–सीतापुर में 1,75,000 ली0/दिन क्षमता का जैविक ईंधन (बायो फ्यूल डीजल/पेट्रोल) संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव पर दिनॉक–12.04.2019 के पूर्वान्ह 11.00 बजे परियोजना स्थल पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवृत्त की विवरणी :

दिनॉक 12.04.2019 को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), सीतापुर की अध्यक्षता में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित उद्योग मै0 सन लाइट फ्यूल्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम– भीखपुर, तहसील–हरगाँव जनपद–सीतापुर में 1,75,000 ली0/दिन क्षमता का जैविक ईंधन (बायो फ्यूल डीजल/पेट्रोल) संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोक सुनवाई आयोजित की गयी, जिसकी उपस्थिति संलग्न है।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डा0 राम करन द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति मुख्य अतिथि एवं अन्य आगन्तुकों का स्वागत करते हुये लोक सुनवाई पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई प्रारम्भ की गयी । क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि *पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई0आई0ए0 अधिसूचना सं0 एस.ओ. 1533 दिनॉक–14.09.2006 Schedule (See Paragraph 2 and 7) के Project or Activity-5 (f) श्रेणी ए के अंतर्गत आच्छादित है । पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कराया जाना प्राविधानित है ।* राज्य बोर्ड को प्रेषित प्रस्ताव पर पर्यावरणीय स्वकृति के लिए लोक सुनवाई कराये जाने हेतु में जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा मै0 सन लाइट फ्यूल्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम– भीखपुर, तहसील–हरगाँव जनपद–सीतापुर में स्थित परियोजना स्थल पर दिनॉक– 12.04.2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे लोक सुनवाई नियत की गयी। जिस हेतु आम सूचना 30 दिन का समय देते हुये दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान लखनऊ संस्करण एवं राष्ट्रीय स्तर पर टाइम्स आफ इंडिया मे दिनांक 07.03.2019 को आम जनता की आपत्ति वं सुझाव हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी। लोक सुनवाई प्रकिया सम्पन्न कराये जाने हेतु जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा पत्रांक सं0–90/लोक सुनवाई/2019 दिनांक 08.04.2019 द्वारा अपर जिलाधिकारी न्यायिक सीतापुर को नामित किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी डा0 राम करन द्वारा आम नागरिकों एवं जन–मानस को जानकारी देते हुये बताया गया कि मै0 सन लाइट फ्यूल्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–भीखपुर, तहसील–हरगाँव जनपद–सीतापुर परियोजना में इंटीग्रेटेड हाइड्रो पाइरोलिसिस और हाइड्रो ट्रीटमेण्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित कच्चे माल के रूप में 500 टन/दिन खोई का प्रयोग कर 1,75,000 ली0/दिन जैविक ईंधन (बायोफ्यूल डीजल/पेट्रोल) का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की कुल लागत 1234 करोड़ अनुमानित है, जिसके लिये परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में लोक सुनवाई की यह प्रकिया निर्धारित की गयी है । परियोजना में जल/वायु प्रदूषण व्यवस्था के पूर्ण प्रबन्ध किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार संस्था में मै0 ई0क्यू0एम0एस0 इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा परियोजना के आस–पास की पर्यावरणीय गुणवत्ता का अध्ययन कराया गया है। परियोजना से जल प्रदूषण होने की सम्भावना बहुत कम है, क्योंकि परियोजना में जीरो डिस्जार्च व्यवस्था पर आधारित तकनीक का प्रयोग किया जायेगा। परियोजना में 1200 किली0 क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र एवं 20 किली0 क्षमता का सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित जल का प्रयोग सिंचाई एवं बागवानी में प्रयोग किया जायेगा। उद्योग परिसर के बाहर उत्प्रवाह का निस्तारण नहीं किया जायेगा।

ADM(J)

मै0 सन लाइट फ्यूल्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम– भीखपुर, तहसील–हरगाँव जनपद–सीतापुर

परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से टी0ओ0आर0 (टोर) दिनांक–22/03/2018 को निर्गत है। प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में कोई लिखित आपत्ति/सुझाव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को किसी अन्य विभाग के माध्यम से प्राप्त नहीं हुयी है।

तदोपरान्त परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रतनेश कोटियाल (ई0आई0ए0 स्पेशलिस्ट), मै0 ई0क्यू0एम0एस0 इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा, उपस्थित अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदया, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, सहायक प्रबन्धक कार्यालय उपयुक्त जिला उद्योग केन्द्र सीतापुर, इकाई प्रतिनिधि श्री चाँद वर्मा एवं उपस्थित आम जन मानस के समक्ष अपनी बात रखते हुये अवगत कराया कि इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में खोई का प्रयोग 1,75,000 ली0/दिन जैविक ईंधन (बायोफ्यूल डीजल/पेट्रोल) का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना में खोई की कुल आवश्यकता 500 टन/दिन होगी जो आस–पास की चीनी मिलों के माध्यम से आपूर्ति की जायेगी जिसके भण्डारण के लिए उद्योग परिसर में समुचित व्यवस्था की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त वैकल्पिक ईंधन एलिफैण्टा ग्रास, ह्वीटस्ट्रा एवं पुआल है। इस परियोजना में गन्ने की खोई से डीजल बनाया जायेगा। यह तकनीकी **IH2** तकनीकी के नाम से जानी जाती हैं। इस प्रकिया में **Baggase** का हाइड्रोपायरोलिसिस कर डीजल तैयार किया जायेगा।

परियोजना में लगभग 2000 किली0/दिन जल का प्रयोग किया जायेगा जिसका मुख्य स्रोत भूजल है, जिसके लिये केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त किया जायेगा। परियोजना शून्य प्रवाह निर्वहन पर आधारित होगी औद्योगिक प्रक्रिया से कुल 962 किली0 प्रतिदिन आद्योगिक उत्प्रवाह तथा घरेलू प्रक्रिया से 20 किली0/दिन सीवेज जनति होगा। परियोजना में औंद्योगिक उत्प्रवाह के उपचार हेतु 1200 किली0 क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया जायेगा तथा घरेलू जलमल के शोधन हेतु 20 किली0/दिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट स्थापित किया जायेगा। उपचारित अपशिष्ट जल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप किया जायेगा। वर्षा जल के संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित की जायेगी।

परियोजना में कुल विद्युत खपत 9 मेगावाट होगा, जिसकी आपूर्ति स्टेट ग्रिड से प्राप्त की जायेगी। परियोजना की कुल लागत 208.74 करोड है, जिसमें पर्यावरण प्रबन्धन के लिए रू0 11.89 करोड खर्च किये जायेंगे।

परियोजना में 26.5 टन/घण्टा क्षमता का 02 नग ब्वायलर स्थापित किया जायेगा, जिसमें ईंधन दहन के कारण कण और गैसीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई0एस0पी0) स्थापित किया जायेगा तथा 72 मी0 ऊँची चिमनी स्थापित की जायेगी । ब्वायलर में ईंधन के रूप में खोई का प्रयोग किया जायेगा। इकाई के संचालन के दौरान ब्वायलर से जनित राख 60 टन प्रतिदिन जनित होगी। ब्वायलर से उत्पन्न चार, फ्लाई ऐश ड्रम में पैक किया जायेगा एवं सम्भावित उपयोगकर्ताओं (ईट एवं सीमेण्ट निर्माताओं) को भेजा जायेगा।

परियोजना में 2 मेगावाट क्षमता का डी0जी0 सेट स्थापित किया जायेगा। डी0जी0 सेट को एकास्टिक एन्क्लोजर में रखा जायेगा तथा डी0जी0 सेट में चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित की जायेगी तथा आन्तरिक सड़कों को पक्का एवं नियमित रूप से साफ किया जायेगा । परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिये नियमित निगरानी की जायेगी। चिमनी उत्सर्जन की नियमित निगरानी के लिये ऑन लाईन निगरानी प्रणाली स्थापित की जायेगी ।

परियोजना के संचालन के उपरान्त जनित हैर्जाड्स वेस्ट को बोर्ड से प्राधिकृत टी0एस0डी0एफ0 संस्था को भेजा जायेगा जिसके लिये टी0एस0डी0एफ0 से अनुबन्ध किया जायेगा।

परियोजना में 33 प्रतिशत कुल संयंत्र क्षेत्र भूमि पर हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा ।

आवेदक के प्रतिनिधि ने परियोजना की आर्थिक आवश्कताओं पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि परियोजना से आस–पास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे परियोजना निर्माण अवधि के दौरान लगभग 300 व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न होगा तथा लगभग 100 लोगों को परियोजना संचालन के दौरान प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कम्पनी स्थानीय लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता देगी। इसके

ADM(J)

अलावा परियोजना की स्थापना के कारण क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होगा जिससे लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य के लिए राजस्व में वृद्धि होगी, जो जनपद के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

लोक सुनवाई के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रश्न पूछे गये जिसके उत्तर पर्यावरण सलाहकार मै0 सन लाइट फ्यूल्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम– भीखपुर, तहसील–हरगाँव जनपद–सीतापुर द्वारा निम्नानुसार दिया गया ।

प्रश्न 1– श्री राम चन्द्र पुत्र सीताराम ग्राम–केवटीखुर्द भीखपुर ने जानना चाहा कि कारखाना लगने से क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर – उपस्थित परियोजना के सलाहकार श्री रतनेश कोटियाल द्वारा यह अवगत कराया गया कि फैक्ट्री में लोगों की योग्यतानुसार रोजगार दिया जायेगा तथा अप्रत्यक्ष रूप से भी लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रश्न 2– श्री मुन्ना पुत्र परमेश्वर ग्राम–केवटीखुर्द भीखपुर ने प्रश्न किया कि क्षेत्र में उद्योग लगने से आम जनता को क्या–क्या फायदे होंगे?

उत्तर – उपस्थित परियोजना के सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे द्वारा आस–पास के गाँव के नौजवानों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार वरीयता के आधार पर भर्ती की जायेगी जिससे उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा। आस–पास के गाँवों में लोगों के स्वास्थ्य की जाँच, विद्यालयों में वृक्षारोपड़ आदि के कार्य कराये जायेगे जिंससे लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ होगा।

प्रश्न 3– श्री लालता प्रसाद पुत्र छोटेलाल वर्मा ग्राम–भीखपुर ने जानना चाहा कि उद्योग से गन्दा पानी निकलता है जिससे प्रदूषण होता है। उसे रोकने के लिए क्या उपाय किये जायेगें ?

उत्तर– उपस्थित परियोजना के सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदूषित जल के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया जायेगा। उपचारित उत्प्रवाह सिंचाई, बागवानी आदि में प्रयोग कर लिया जायेगा। इकाई से किसी भी तरह का उत्प्रवाह या गन्दा पानी परिसर के बाहर नहीं निस्तारित किया जायेगा। इकाई शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति पर स्थापित की जायेगी।

प्रश्न 4– श्री पूरनलाल पुत्र श्री राम अवतार ग्राम–भीखपुर द्वारा पूछा गया कि हमारी जमीन ली जा रही है हमें उचित मुआवजा दिया जाय ?

उत्तर– उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि श्री चाँद वर्मा द्वारा बताया गया कि लोगों की जमीन के बदले सरकार द्वारा निर्धारित नीति से अधिक मुआवजा दिया जा रहा है। इसमें किसी भी किसान की जमीन के बदले निश्चित रूप से उचित मुआवजा दिया जायेगा।

प्रश्न 5– श्री मोतीलाल पुत्र श्री बड्डा ग्राम–भीखपुर द्वारा पूछा गया कि कम्पनी द्वारा आस–पास के ग्रामीणों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु क्या सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी

उत्तर– उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि की उद्योग परिसर में एक अस्पताल की व्यवस्था स्थापित करायी जायेगी जिसमें आस–पास के ग्रामीणों को अत्यन्त न्यूनतम शुल्क दर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रश्न 6– श्री राम चन्द्र पुत्र सीताराम ग्राम–केवटीखुर्द भीखपुर ने जानना चाहा कि इकाई में स्थापित चिमनी से निकलने वाले वायु प्रदूषण के रोकथाम की क्या व्यवस्था की जायेगी तथा यह भी जानना चाहा कि क्षेत्र की ग्रामीण सड़कें अत्यन्त सकरी है जिससे आवागमन बाधित होना स्वाभाविक है क्या इसके चौड़ीकरण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है?

उत्तर– उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में 26.5 टन/घण्टा क्षमता का 02 नग ब्वायलर स्थापित किया जायेगा गैसीय उत्सर्जन के निकासी हेतु 72 मी0 ऊँची चिमनी एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई0एस0पी0 (इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपीपेटेटर) की स्थापना की जायेगी जिससे

ADM (J)

वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जायेगा उद्योग की चिमनी से जनित गैसीय उत्सर्जन सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहेगा। उद्योग परिसर में वाहनों के आवागमन से सड़कें सकरी होने के कारण बाधित होने की सम्भावना है जिसके लिए कम्पनी द्वारा सड़कों का चौड़ीकरण कराया जायेगा ताकि क्षेत्रीय नागरिकों को असुविधा न हो।

प्रश्न 7– क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 राम करन ने यह जानना चाहा कि ट्रकों के आवागमन से परिवेशीय वायु गुणता प्रभावित होने की सम्भावना है, इसके लिए कम्पनी द्वारा क्या व्यवस्था की जायेगी?

उत्तर– उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि श्री चाँद वर्मा द्वारा बताया गया कि उद्योग परिसर में वाहनों की पार्किंग हेतु पक्का प्लेट फार्म बनाया जायेगा जिससे न्यूनतम वायु प्रदूषण होगा तथा उद्योग परिसर में वाटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था करायी जायेगी जिससे परिवेशीय वायु गुणता प्रभावित की जायगी।

प्रश्न 8– श्री नादिर पुत्र श्री नाजिम खान ग्राम–भीखपुर द्वारा जानना चाहा कि क्या कम्पनी हम लोगों को बिजली की सुविधा देगी?

उत्तर– उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में पॉवर प्लांट की स्थापना नहीं की जायेगी। इकाई में विद्युत की आपूर्ति स्टेट ग्रिड से ली जायेगी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 2 मेगावाट क्षमता का डी0जी0 सेट स्थापित किया जायेगा। जिससे प्लान्ट को संचालित किया जायेगा जिससे आस–पास के ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री लक्ष्मी सिंह, सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, सीतापुर ने उपस्थित जन समूह का स्वागत करते हुये अवगत कराया गया कि किसी भी उद्योग की स्थापना से पूर्व वहां के किसानों के विचारों को सुनना तथा इनकी आशंकाओं का समुचित निस्तारण करना अच्छी बात है। इससे भविष्य में समस्यायें कम होती है। किसी भी क्षेत्र के विकास एवं पर्यावरण में वरीयता दी जाये तो पर्यावरण ऊपर है तथा विकास को भी लेकर चलना पड़ता है। प्रदूषण पर एक आदर्श लाइन बनाकर सीमा के अंतर्गत रहते हुये विकास करना सही होता है। स्थानीय पर्यावरणीय दशाओं के आधार पर इस इकाई का चयन किया गया है। योजना बनी है तथा इससे सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उन्नयन के लिये आवश्यक है। एक इकाई लगने से लम्बी चेन प्रकिया के माध्यम से आस–पास के क्षेत्रों का विकास होता है। इकाई के संचालन से किसी भी प्रकार का प्रदूषण न हो, जिससे जनसामान्य के स्वास्थ/क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव न पड़े। उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा आश्वस्त किया गया कि आपके प्रस्ताव/सुझावों को सम्मिलित करेंगे।

अपर जिलाधिकारी महोदया के विचार– अपर जिलाधिकारी महोदया, श्रीमती प्रियंका सिंह जी द्वारा– उपस्थित जन समुदाय का स्वागत करते हुये बधाई दी गयी कि यहां पर 175000 ली0/दिन क्षमता का जैविक ईंधन (बायो डीजल/पेट्रोल) संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है। इकाई द्वारा जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सभी आवश्यक संयंत्र स्थापित किये जायेगें जिससे न्यूनतम प्रदूषण होगा। कम्पनी की स्थापना से आस–पास के लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा जिससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार होगा। उनके द्वारा कहा गया कि रोटी सबसे पहली प्राथमिकता है तथा रोटी पानी के लिये रोजगार/कार्य/उद्योग का होना बहुत जरूरी है। यहां पर युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। विदेशों में अपने हयूमन रिर्सोस पर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। जनपद में यह सबसे बड़ा उद्योग एवं भारत में इस तरह का पहला उद्योग स्थापित हो रहा है। निश्चित रूप से इससे जनपद का एवं प्रदेश का विकास होगा। सभी के सामान्जस्य से ही उद्योग लगाया जा सकता है, जिसमें मिल स्वामी, सरकारी विभाग, किसानों को सामान्जस्य बनाना पड़ता है। आप लोगों के विचार सुना, बहुत अच्छा लगा। इकाई को शीघ्र स्थापित कर उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ करें। आप सभी को बहुत–बहुत धन्यवाद।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावकों से प्रस्तावित परियोजना में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना मानकों के अनुरूप किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपस्थित जनसमूह द्वारा एक मत होकर ध्वनि मत से उक्त प्रस्तावित परियोजना की स्थापना हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

ADM(J)

मै0 सन लाइट फ्यूल्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम– भीखपुर, तहसील–हरगाँव जनपद–सीतापुर

अन्त में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के क्षेत्रीय अधिकारी डा0 राम करन ने उपस्थित मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सीतापुर, उपस्थित समस्त जन समुदाय एवं अतिथियों का लोक सुनवाई को सुचारू रूप से निष्पादित करने में सहयोग के लिये धन्यवाद किया गया तथा आशा व्यक्त की गयी कि प्रस्तावित परियोजना निर्धारित अवधि में पूर्ण कर संचालित हो जिससे आम जन–मानस को लाभ मिल सके, साथ ही लोगो का आभार व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई प्रकिया समाप्त करने की घोषणा की गयी ।

(क) लोक सुनवाई के समय उपस्थित नागरिकों पदाधिकारियों/पैनल सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति संलग्न–1 के रूप में संलग्न है।
(ख) लोक सुनवाई की वीडियों की 02 सी.डी. संलग्न–2 के रूप में संलग्न है।
(ग) दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित कतरन संलग्न–3 के रूप में संलग्न है।

27/4/2019

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

ADM (J).

(श्रीमती प्रियंका सिंह)
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)
सीतापुर

जिलाधिकारी
सीतापुर

सन लाइट फ्यूल्स प्रा0लि0, ग्राम–भीखपुर, तहसील–हरगांव, जनपद– सीतापुर उ0प्र0 में 1,75,000 बायोमास फ्यूल प्लान्ट (बायो फ्यूल पेट्रोल/डीजल) की स्थापना के प्रस्ताव पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण :

परियोजना स्थल– मै0 सन लाइट फ्यूल्स प्रा0लि0, ग्राम–भीखपुर, तहसील–हरगांव, जनपद– सीतापुर

दिनांक: 12.04.2019

समय 11.00 बजे पूर्वान्ह

क0सं0	नाम व पद	पता	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
1	प्रियंका सिंह ADM (Jud.)	कार्यालय जिलाधिकारी	9984550926	[illegible]
2	डा. राम करन, क्षे0अधि0	उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ	783984184	[illegible]
3	चन्द्रेश कुमार	सहा. पर्या. अभियन्ता, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	7839891814	[illegible]
4	Nadi Khan	सुजीपारा	8787015186	Nadi K
5	रामचन्द्र	क्योटीखुर्द भीखपुर	9919333806	[illegible]
6	पूरनलाल	क्योटीखुर्द		पूरनलाल
7	मुन्ना	क्योटीखुर्द	9628812559	मुन्ना
8	[illegible]	भीखपुर		[illegible]
9	लालताप्रसाद	भीखपुर	87[illegible]543[illegible]	लालताप्रसाद
10	रामभजन	चकआदमपुर		रामभजन
11	श्रीराम	अख्त्यारपुर	9839232290	श्रीराम
12	अकीलखाँ	मुमीरुद्दीनपुर	9616216711	अकीलखाँ
13	मोतीलाल	भीखपुर		मोतीलाल
14	नसीम	सुजीपार		नसीम
15	[illegible]			
16	Ankur	Kyonti	623911[illegible]	Ankur
17	आशीष	क्योंटी	[illegible]	आशीष
18	Alankrit	[illegible]	9918215171	Alankrit
19	कमलेश कुमार	भागौर	7565959711	कमलेश कुमार

	ईंटे	ककराही	-	ईंटे
21	Lakshan Kumar	Harshipur	8736547038	Lakshan
22	नेपाल	भीखपुर	-	9919331744
23	VIJAY MISHRA	भीखपुर	9181208748	
24	मंजूरअली	भीखपुर	86012434 303	
25	सर्वेश कुमार	भीखपुर	-	कटोरीखुर्द
26	दिलीप कुमार	भीखपुर	9415505669	
27	मजीद	ककराही	9792388519	
28	अल्ला रक्खा	बेली धारा	9620177022	
29	फारूक	बेली धारा		
30	दिनेश	बेली धारा	8601348054	
31	रामगोपाल	बेली धारा	9628136498	रामगोपाल
32	राजेश कुमार	भीखपुर	9554382623	
33	उत्तम कुमार	भीखपुर	887466017	कटोरीखुर्द
34	राहुल त्रिपाठी	भीखपुर	8601398936	
35	मुकेश	मध्य राम	-	मुकेश
36	राम बहादुर	भीखपुर	6306505171	
37	जगमोहन	सीता रमण	8874445799	
38	अमित	भीखपुर	9670227551	
39	गौरव	भीखपुर	8874072323	
40	शैलेन्द्र	भीखपुर	8299584190	
41	बी० पी० मौर्य	मुख्य प्रबंधक नि: बोर्ड लखनऊ	7839891859	
42	अंकुर गौतम	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	7839891836	
43	Lakshmi Singh	Assistant Manager. DIC, Sitapur	9454602806	
44				